प्र.सं. ..../ दावा / प्र.पत्र / ....

	हुकम या कार्यवाही मय इतिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
2/23	पत्रावली पेश हुई [illegible] है। आज श्रीमान उपखण्ड [illegible] रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। [illegible] पर है। अत पत्रावली सांविक कार्यवाही हेतु दिनांक 29.1.24 को पेश हो	
29/1/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.। रिपोर्ट TD R 4/15 - शा.फा. की गई। वकील प्रार्थी की बहस प्रा.पत्र सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दि. 13/2/24 को पेश हो।	[signature]
13/2/24	पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश। हुई। वकील प्रार्थी उप.। प्रा.पत्र प्रार्थी स्वीकार किया गया। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर खुले न्यायालय सुनाया जाकर शा.फा. किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी श्री हरबिन्दर डी सिंह R.A.S

मिसल नं0	तारीख दायर	तारीख फैसल
117/प्रा0पत्र/2023	20.9.2023	13.02.2024

लवकुश लोधा आत्मज श्री रामगोपाल लोधा जाति लोधा आयु 46 वर्ष निवासी ग्राम अलकोदिया तहसील बून्दी जिला बून्दी ......प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी (राज0) ......अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्ताप्रार्थी:– श्री नवीन गुर्जर

— : : निर्णय : : —

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 136 भू–राजस्व अधिनियम

प्रा0पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि कृषि भूमि खाता सं0 702 पुराना 622 की कृषि भूमि ख0सं0 2668/481 रकबा 0.5989 हैक्टे., ख.सं0 2670/388 रकबा 0.5423 हैक्टे0, ख0सं0 2671/388 रकबा 0.6394 हैक्टे0 व ख0सं0 2673/479 रकबा 0.6070 हैक्टे कुल किता 4 कुल रकबा 2.3876 हैक्टे वाके ग्राम बरून्धन पटवार हल्का बरून्धन तहसील तालेडा में विस्थित। जिस पर प्रार्थी खातेदार के रूप मे काबिज काश्त है। जब प्रार्थी के पिता रामगोपाल जी का स्वर्गवास हुआ एवं उनके वारिसान का फोती नामान्तकरण खोला गया, तो प्रार्थी के मूल नाम/दस्तावेजी नाम के स्थान पर प्रार्थी का बोलता नाम लवकेश सहवन से प्रार्थना पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित प्रार्थी के पिता की खातेदारी की भूमि पर इन्द्राज हो गया। जबकि प्रार्थी का दस्तावेजी नाम लवकुश है। राजस्व रिकार्ड में राजस्व कर्मचारियों के द्वारा बिना दस्तावेजी परिक्षण के ही प्रार्थी का नाम . प्रार्थी के बोलते नाम लवकेश के अनुसार ही लवकेश नाम खातेदारी की भूमि में दर्ज कर दिया, जबकि प्रार्थी का मूल नाम दस्तावेजी आधार पर लवकुश है। प्रार्थी के द्वारा दिनांक 30.8.2023 को तहसीलदार तालेडा से नाम शुद्वि के लिए निवेदन किया परन्तु तहसीलदार तालेडा के द्वारा प्रार्थी की बात नही सुनी एवं प्रार्थी की भूमि में नाम शुद्व के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नही की गई जो वाद कारण बना एवं वर्तमान में भी लगातार बना हुआ है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खाता सं0 नया 702 पुराना 622 की ख0सं0 2668/481 रकबा 0.5989 हैक्टे., ख.सं0 2670/388 रकबा 0.5423 हैक्टे0, ख0सं0 2671/388 रकबा 0.6394 हैक्टे0 व ख0सं0 2673/479 रकबा 0.6070 हैक्टे कुल किता 4 कुल रकबा 2.3876 हैक्टे वाके ग्राम बरून्धन पटवार हल्का बरून्धन तहसील तालेडा में विस्थित भूमि पर दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार तालेडा से जांच रिपोर्ट मंगवाकर नाम शुद्वीकरण के आदेश फरमावे जो प्रार्थी का नाम लवकेश आ0 श्री रामगोपाल गलत दर्ज है को शुद्व कर प्रार्थी का नाम लवकुश आ0 श्री रामगोपाल दर्ज किये जाने क आदेश फरमाये जाने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी तहसीलदार तालेडा द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी ग्राम अलकोदिया तहसील बुन्दी का निवासी होने से तहसील बून्दी से रिपोर्ट ली गई जिसके अनुसार प्रार्थी का नाम लवकुश पिता रामगोपाल निवासी अलकोदिया ही दर्ज है एवं ग्राम अल्कोदिया के खाता सं. 190 (संवत 2071–74) में प्रार्थी का नाम लोकेश उर्फ लवकुश पुत्र रामगोपाल कोम लोधा निवासी अल्कोदिया दर्ज रिकार्ड है। मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम अल्कोदिया में इस नाम का कोई अन्य व्यक्ति नही है। मौका रिपोर्ट के साथ नामान्तकरण सं0 1538 ग्राम बरून्धन, नकल जमाबन्दी खाता सं0 नया 190 पुराना 11 वाके ग्राम अल्कोदिया, आधार कार्ड सं0 578710294722, मतदाता पहचान पत्र सं. IXI 0514596, पेन कार्ड सं0 ALJPL6800F , बैंक ऑफ बडौदा खाता सं0 43300500000679 एवं परिवार राशन कार्ड सं0 009446000209 की प्रति पेश की। पेरोकार सरकार द्वारा रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार लवकेश को लवकुश करने का निवेदन किया।

बहस उभयपक्ष सूनी गई।

प्रार्थी द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराया एवं अवगत कराया कि राजस्व रेकार्ड में घर वालो के द्वारा सहवन बोलता नाम लिखाने के कारण से फौती नामान्तकरण में लवकुश के स्थान पर लवकेश दर्ज हो गया है जो कि आज तक राजस्व रेकार्ड में अंकित चला आ

जिसको दुरूस्त किया जाना प्रार्थी के हित में एवं न्याय के हित में अति आवश्यक एवं जरूरी

पैरोकार सरकार द्वारा रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार नाम संशोधन किये जाने की अनुशंषा की गई।

हमने बहस वकील प्रार्थी सुनी तथा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया । पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकार्ड नकल जमाबन्दी संवत 2076 खाता सं0 702 पुराना 622 की कृषि भूमि ख0सं0 2668/481 रकबा 0.5989 हैक्टे., ख.सं0 2670/388 रकबा 0.5423 हैक्टे0, ख0सं0 2671/388 रकबा 0.6394 हैक्टे0 व ख0सं0 2673/479 रकबा 0.6070 हैक्टे कुल किता 4 कुल रकबा 2.3876 हैक्टे वाके ग्राम बरून्धन पटवार हल्का बरून्धन तहसील तालेडा के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त जमाबन्दी में लवकेश आ0 रामगोपाल ही अंकित है। किन्तु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं रिपोर्ट तहसीलदार तालेडा व बून्दी एवं संलग्न दस्तावेज नामान्तकरण सं0 1538 ग्राम बरून्धन, नकल जमाबन्दी खाता सं0 नया 190 पुराना 11 वाके ग्राम अल्कोदिया, आधार कार्ड सं0 578710294722, मतदाता पहचान पत्र सं. IXI 0514596 पेन कार्ड सं0 ALJPL6800F , बैंक ऑफ बडौदा खाता सं0 43300500000679 एवं परिवार राशन कार्ड सं0 009446000209 से स्पष्ट है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम लवकेश नही लवकुश है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवं रिपोर्ट तहसीलदार के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जाता है कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में यदि किसी न्यायालय में वाद विचाराधीन एवं स्थगन आदेश नही हो तो ग्राम बरून्धन तहसील तालेडा की कृषि भूमि खाता सं0 702 पुराना 622 की कृषि भूमि ख0सं0 2668/481 रकबा 0.5989 हैक्टे., ख.सं0 2670/388 रकबा 0.5423 हैक्टे0, ख0सं0 2671/388 रकबा 0.6394 हैक्टे0 व ख0सं0 2673/479 रकबा 0.6070 हैक्टे कुल किता 4 कुल रकबा 2.3876 हैक्टे में प्रार्थी के नाम लवकेश पुत्र रामगोपाल के स्थान पर लवकुश उर्फ लवकेश आ0 रामगोपाल संशोधित किया जावे शेष इन्द्राज बदस्तुर रखा जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 12.02.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

(हरबिन्दर डी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा